न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), शिवगंज जिला–सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्रीमती शकुंतला चौधरी, आर0ए0एस0

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
श्री गणपतसिंह पुत्र खीमसिंहजी जाति राजपूत निवासी वाण तहसील शिवगंज जिला सिरोही (राज0)	बनाम	1.श्री मालमसिंह पुत्र विजयसिंह जी राजपूत 2.श्री नारायणसिंह पुत्र विजयसिंह राजपूत समस्त निवासी वाण, तहसील शिवगंज जिला सिरोही 3.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता–श्री महेन्द्रसिंह राव

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 128 व 130 भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 27/2023

–:: आदेश ::– दिनांक 14.05.2024

प्रार्थी ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 130 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थीगणों के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 18.05.2023 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मैं प्रार्थी ग्राम वाण का निवासी हूं तथा मुझ प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि मौजा ग्राम वाण तहसील शिवगंज जिला सिरोही के खसरा नम्बर 19 कुल रकबा 3.2860 हैक्टेयर आई हुई स्थित है। मैं प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी का सुविधापूर्ण उपयोग, उपभोग करने के लिए तथा भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो इसके लिए नियमानुसार शांतिपूर्ण ढंग से नेकमबंदी/पत्थरगढ़ी सीमा चिन्ह मेरी खातेदारी आराजी खसरा न0 19 व अप्रार्थीगण के खसरा न0 17/2, 17 के बीच में करवाना चाहता हूं। मेरी खातेदारी आराजी निम्न खसरा न0 19 के पड़ोसी के खसरा न0 17/2, 17, 20, 514/19, 18 के मध्य आई हुई स्थित है। जिस में से खसरा न0 17/2, 17 व मुझ प्रार्थी की खातेदारी के बीच सीमा को लेकर आए दिन वाद–विवाद होता रहता है, जिसको लेकर कई बार झगड़ा फसाद व मुकदमे बाजी हो चुकी है। तहसीलदार साहब शिवगंज के आदेश कमांक /भू.अ./सीमाज्ञान/2020/2356–57 दिनांक 18.06.2020 के तहत दिनांक 11.05.2020 की पालना में मौजा वाण के खसरा न0 17 व 17/2 रकबा 61.12 बीघा कर सीमाज्ञान पटवारी हल्का वाण व मुझ प्रार्थीयान के पड़ौसी खातेदारान व मोतबिरान पर मौके पर पहुंच जरीब चलाकर सीमा चिन्ह करवाये गये जिसकी जानकारी से मुझ खातेदार भूमि व पड़ोसी खातेदारों ने सहमति जाहीर की। इसके उपरांत भी अप्रार्थीगण द्वारा मुझ खातेदार भूमि पर खसरा सं0 19 व अप्रार्थी के खसरा नं0 17/2 व 17 के बीच की सीमा पर मुझ प्रार्थी मौका फर्द अनुसार पत्थरगढ़ी को लेकर मना करता है तथा उक्त सीमा को लेकर अकारण झगड़ा फसाद करता है, जिससे मैं प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी खसरा नं0 19 व अप्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नं0 17/2, 17 के मध्य नेकमबंदी/पत्थरगढ़ी सीमा चिन्ह करवाना चाहता हुं। उपरोक्त नेकमबंदी/पत्थरगढ़ी सीमा चिन्ह नहीं होने से बार–बार मौके पर सीमा विवाद एवं अतिक्रमण की आशंका रहती है तथा मौके पर जमीन खड़ाई में दुविधा असुविधा उत्पन्न नहीं हो जिससे उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया है। अतः प्रार्थी की खातेदारी आराजी की नेकमबंदी/पत्थरगढी सीमा चिन्ह अंकित किए जाने के आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी नकल, नक्शा की प्रति व सलग्ंन दस्तावेजो के अवलोकन व मनन के पश्चात प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो से यह न्यायालय प्रथम दृष्टया सहमत होने से दिनांक 18.05.2023 को प्रा[illegible] दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को वास्ते जवाब हेतु नोटिस जारी किए गये। दिनांक 25.0[illegible]2023 को अप्रार्थीगण सं0 1,2 को नोटिस तामील होने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने [illegible] जवाब प्रस्तुत नहीं करने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में [illegible] जवाब बंद किया गया। दिनांक 18.08.2023 को अप्रार्थी सं0 3 तहसीलदार शिवगंज ने जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। एवं दिनांक 14.05.2024 को प्रार्थी अधिवक्ता व अप्रार्थी सं0 3 की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.05.20 16:03:49 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज –02

प्रकरण सं0 32/2022
गणपतसिंह बनाम मालमसिंह व अन्य
अंतर्गत धारा 128 व 130 भू–राजस्व अधिनियम 1956

हमने विचारण प्रकरण में पत्रावली के साथ प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि मौजा वाण तहसील शिवगंज जिला सिरोही के खसरा नं0 19 रकबा 3.2860 हैक्टेयर व संलग्न दस्तावेजो तथा वकील प्रार्थी तथा तहसीलदार शिवगंज की उक्त बहस पर भी गंभीरता से मनन किया।

सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 128 व 130 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि मौजा वाण तहसील शिवगंज जिला–सिरोही के खसरा नं0 19 कुल रकबा 3.2860 हैक्टेयर में पडौसी खातेदारों द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण/बेदखल करने की संभावना व खातेदारी भूमि में काश्त करने में विघ्न पैदा होने तथा भविष्य में और भी कानुनन परेशानी व अन्य समस्याए पैदा न हो इस हेतु नियमानुसार प्रार्थी से उक्त भूमि के सीमाज्ञान हेतु भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार) शिवगंज को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी का नेखमबंदी करने से पूर्व सभी आवश्यक पक्षकारों की उपस्थिति में नेखमबंदी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उक्त नेखमबंदी करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगणों को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित किया जाकर एक तिथि निश्चित (वर्षा काल में खडी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 को ध्यान में रखते हुए) कर नेकमबंदी की जावे। कमिश्नर शुल्क रूपये 1000/– रूपये (एक हजार) मात्र निर्धारित किया जाता है जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा। यदि पुलिस ईमदाद की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाने से पुलिस ईमदाद प्राप्त करें। आदेश सरे ईलजास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 14.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

(शकुंतला)
उपखण्ड अधिकारी (लैण्ड रेकर्ड आफिसर)
शिवगंज (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)
दिनांक 14.05.2024

कमांक/कोर्ट/2024/ 280
प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी (लैण्ड रेकर्ड आफिसर)
शिवगंज (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.05.20 16:03:49 IST
Reason: SelfAttested